

इस बल्लेबाज का आरेंज
कैप पर है कब्जा, पहले ही
मैच में खेली धमाकेदार पारी



ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਸ ਮੈਂ ਹੈ ਦਮ
ਲੇਕਿਨ ਕੇਕੇਆਰ ਸੇ ਮਿਲ
ਸਕਤੀ ਹੈ ਕਡੀ ਟਕਕਰ

मुंबई। अब तक एक बार भी आइपीएल का खिताब नहीं जीत सकी पंजाब किंग्स इस बार मजबूत नजर आ रही है। आरसीबी को पहले मुकाबले में हराने वाली पंजाब किंग्स ने 200 से ज्यादा रनों के लक्ष्य का पीछा किया था। हालांकि उनकी गेंदबाजी अपेक्षाकृत कमज़ोर नजर आई। राहत की बात यह है कि उनके दक्षिण अफ्रीकी तेज गेंदबाज कौंगिसो रबादा का तीन दिवसीय क्वारंटाइन पूरा हो गया और ऐसे में उनके खेलने की उम्मीद है। इससे कोलकाता नाइटराइडर्स (केकेआर) के खिलाफ शुरुआत को होने वाला मुकाबला तगड़ा होने की उम्मीद है। वहीं पिछले मैच में केकेआर को रायल चैलेंजर्स बैंगलुरु (आरसीबी) से तीन विकेट की हार मिली थी, लेकिन उसके गेंदबाजों ने बाद में बेहतर प्रदर्शन किया। पंजाब की बल्लेबाजी है मजबूत: पंजाब के लिए काफी कुछ उसके शीर्षी तीन खिलाड़ियों काठान मयंक अग्रवाल, शिखर धवन और श्रीलंकाई भानुका राजपक्षे पर निर्भर होगा। राजपक्षे ने आरसीबी के खिलाफ मैच में विजयी पारी खेली थी। मध्यक्रम में ऑडियन स्मिथ और शाह रुख खान ने आरसीबी के खिलाफ अपनी कमाल की बल्लेबाजी की थी। अंडर-19 विश्व कप स्टार राज बाग को एक और



दो बल्लेबाजों ने एक ही मैच में बनाया
वर्ल्ड रिकार्ड, पाकिस्तान ने आस्ट्रेलिया
पर दर्ज की सबसे बड़ी जीत

नई दिल्ली। आस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों के पहले बन्द में हार के बाद पिछली पारिक्षण ने जीत प्राप्त की।

15 वनडे शतक के वर्ल्ड रिकार्ड को अपने नाम कर लिया। गुरुवार को



A cricket player in a green and yellow uniform, wearing a helmet and gloves, walks across a grassy field. The uniform features a yellow star on the leg. The background shows a stadium at night with lights and other players visible.

आस्ट्रेलिया के खिलाफ 348 रन का पीछा कर जीत हासिल कर पाकिस्तान ने लक्ष्य का पीछा करते हुए अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की। इससे पहले पाकिस्तान की टीम ने 2014 में बांग्लादेश के खिलाफ 329 रन के लक्ष्य का पीछा कर जीत हासिल की थी। भारत के खिलाफ मोहाली में 2007 में पाकिस्तान ने 322 रन का पीछा कर जीत दर्ज की थी जो उसकी दीपमंगी सबसे बड़ी जीत है।

आईपीएल के एक सीजन में पहली बार सीएसके को लगातार पहले दो मैचों में मिली हार

नई दिल्ली। आइपीएल 2022 में सीएसके ने अब तक दो लीग मैच खेले हैं, लेकिन रवींद्र जडेजा की कपासनी में इस टीम को जीत नहीं मिली। ऐसा नहीं है कि सीएसके ने दूसरे मैच में पंजाब किंस के खिलाफ अच्छा स्कोर नहीं बनाया। या जब सीएसके ने 200 से ज्यादा रन बनाए, लेकिन इस स्कोर को डिफेंड करने में कामयाब नहीं हो पाई। इसके अलावा आइपीएल में ये 20वां मौका था जब चेन्नई की टीम ने 200 का स्कोर बनाया। चेन्नई व लखनऊ के बीच हुए इस



सीजन के 7वें लीग मैच में पहले सीएसके की टीम ने राबिन उथप्पा के 50 रन, शिवम दबे के 49 रन व धौनी की तेज 16 रन की पारी के दम पर 20 ओवर में 210 रन बनाए। इसके जवाब में लखनऊ की टीम ने काफी अच्छी बल्लेबाजी की और कदान केल राहुल 40 रन, विंटन डिकाक 61 रन, इविन लूडस 55 रन और आयुष बदानो की दो छक्कों की मदद से नाबाद 19 रन की पारी के दम पर मैच में 6 विकेट से जीत दर्ज की। सीएसके की ये लगातार दूसरी हार रही तो वही लखनऊ की टीम ने अपना पहला मैच जीता। इविन नर्सिंह को ऐसे आपके दौरे से बाहर

राशिफल

मेष-आज का दिन सामान्य
रहेगा। शाम को ऑफिस के बाहर
घर लौटते समय मित्रों से विवाह
हो सकता है। बेहतर होगा जब
आज आप बिना जरूरत कि से

वृष-इर्ष्या और हुँगलाहट।
आपका स्वास्थ्य खराब कर सकती है। पुरानी बातों में न फंसे और जितना हो सके आराम करने की कोशिश करें।

मिथुन-ःआज आपके सगे-
संबंधियों से अनबन हो सकती
है। गपशप और अफवाहों से
दूर रहें। आज दिन भर आपके
मन में प्रसन्नता बढ़ी रहेगी। आप

कर्क-:आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। बेरोजगारों को आज रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। जो लोग शादीशुदा हैं उन्हें आज उपर्युक्त विवाह प्रस्ताव

सिंहः-डिप्रेशन या तनाव से मरी
की शांति भंग हो सकती है।
संदिग्ध आर्थिक लेन-देन में
फंसने से सावधान रहें। आपके
प्रह्लादे या रुप-रंग में आपत्ते

कन्या:-आज आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा संचेतन रहने की आवश्यकता होगी। छात्रों को अपने लक्षणों को प्राप्त करने के लिए थोड़ी अधिक मेहनत

तुला-:आज आपको प्रोजेक्ट के काम में जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। जो आगे की सफलताएँ के लिए भी मददगार साबित होगा। ऑफिस के काम में दसरे

वृश्यिक-:अपनी नकारात्मक भावनाओं और प्रवृत्तियों पर नियंत्रण रखें। आपकी रुदिगादी सोच/पुराने विचार आपकी प्रगति में बाधक बन सकते हैं, इसकी

धनुः-आज आपको किसे प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी कार्यस्थल पर आपका प्रदर्शन उत्कृष्ट रहेगा और आप हाश में लिए गए कार्यों का सफलतापूर्वक पूरा करेंगे।

मकर-:आज आपको धन का
लाभ मिलेगा। पैसों के लेन-देन
के मामले में कोई भी फैसला लेने
से पहले सोच लें। यह फायदेमंद
साबित होगा। आज आपके काम
में जो भी बाधा आ रही है

कुंभ-सेहत को नज़रअंदाज़ न करें, शराब से दूर रहें। जो लोग आपके पास क्रोडिट के लिए आते हैं, उन्हें अनदेखा करना बेतर है। आपका कोई करीबी आज बहुत अजीब मूढ़ में रहेगा और इस समझना लगभग नामुमानित

मीन:-आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। आज आप अपनी वाणी की मधुरता से दूसरों के मन पर सकारात्मक प्रभाव छोड़ने में सफल रहेंगे। आपके तिन प्रस्तुति की सराहना की जाएगी।

सम्पादकीय

यदि किसी ग्रंथ में लोकतांत्रिक एवं नारी स्वतंत्रता के विपरीत किसी प्रथा का उल्लेख हो, तो क्या उसे मंजूरी मिल जाएगी

हिजाब मामले में कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ सरीच्च न्यायालय में दावर की जाने वाली याचिकाओं की संख्या बढ़ती जा रही है। ताजा याचिका इंडियन मुस्लिम पर्सनल ला बोर्ड की ओर से दाखिल की गई है। यह कोई सरकारी संस्था नहीं, बल्कि एनजीओ जैसा एक स्वयंभू संगठन है। मुस्लिम पर्सनल ला बोर्ड के तकील की मानें तो कर्नाटक उच्च न्यायालय का फैसला इस्लामिक ग्रंथों और विशेष रूप से पवित्र कुरान की गलत समझ पर आधारित है। यह वही बोर्ड है, जिसने 1985 में शाहबानो मामले में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को राजी वाधी सरकार पर दबाव बनाकर संसद से पलटवारे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तब इस बोर्ड के लोगों का कहना था कि मुस्लिम समाज को शरीयत के हिसाब से ही चलने का अधिकार मिलना चाहिए। उस समय पवित्र कुरान का भी हवाला दिया गया था। तीन तलाक मामले में इस बोर्ड के लोगों ने यह तो माना था कि यह प्रथा खराब है, फिर भी वे उसी जारी रखने के पक्ष में थे। इससे यह सहज ही समझा जा सकता है कि जब कभी निकाह हलाला मामले की सुनवाई होगी तो उसे भी जायज बताने की ही कोशिश होगी। यह गनीमत रही कि सुप्रीम कोर्ट ने तीन तलाक को प्रतिबंधित कर दिया। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने तीन तलाक मामले में यह पाया कि यह प्रथा इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं, प्रश्न यह है कि यदि तीन तलाक इस्लाम के अनिवार्य हिस्से के रूप में दर्ज होता तो क्या उसे जारी रखने की मंजूरी दे दी जाता यही प्रश्न हिजाब मामले में भी कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले के संदर्भ में भी उठता है। यदि कहीं किसी इस्लामी ग्रंथ अथवा पवित्र कुरान में यह लिखा होता कि हिजाब-बुर्का आदि इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा है तो क्या उसे स्कूली कक्षाओं में पहनने की मंजूरी दे दी जाती इन स्कूलों पर विचार इसलिए होना चाहिए, क्योंकि यदि सैकड़ों हजारों वर्ष पूराने किसी धर्मग्रंथ में किसी ऐसी प्रथा का उल्लेख हो, जो आज के इस युग में समानता, पंथनिरपेक्षता, लोक व्यवस्था, संवैथानिक नैतिकता,

इमरान खान को उनके हाल पर छोड़कर पाकिस्तानी सेना ने विपक्ष को राजनीतिक बाजी पलटने के लिए एकजुट कर दिया

पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में इमरान खान सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आखिरकार स्वीकार हो गया है। अब उस पर अगले तीन से सात दिनों के भीतर मतदान होगा। इमरान सरकार के लिए इस अविश्वास प्रस्ताव को मात दे पाना मुश्किल लग रहा है, क्योंकि उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इमाम यादी परीटीभांड में विदेह वाले पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री होंगे। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में इमरान खान सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आखिरकार स्वीकार हो गया है। अब उस पर अगले तीन से सात दिनों के भीतर मतदान होगा। इमरान सरकार के लिए इस अविश्वास प्रस्ताव को मात दे पाना मुश्किल लग रहा है, क्योंकि उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इमाम यादी परीटीभांड में विदेह

मेडिकल शिक्षा में आत्मनिर्भरता की ओर निरंतर बढ़ते कदम

एम्बीबीएस करते हैं। परंपरागत एवं प्रोफेशनल शिक्षा के क्षेत्र में निवृत्ति शिक्षण संस्थानों का योगदान अत्यधिक दायरा बढ़ता जा रहा है। इस वज़ाफ़े से बड़ी तादाद में छात्र शिक्षण प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। पर कानूनी छात्र योग्यता होने के बावजूद इन संस्थानों में दाखिला नहीं ले पाया जाता है, क्योंकि उनके अभिभावकों पास भारी फीस चुकाने की क्षमता नहीं होती। बहुत से माता-पिता लिए कर्ज लेकर शुल्क चुकाना संभव नहीं होता है। इन निवृत्ति मेडिकल कालेजों में साढ़े चार साल के कुल एम्बीबीएस शिक्षा के लिए 50 लाख से एक करोड़ रुपये तक की फीस वसूली जाती है। इसके दो राय नहीं कि निजी शिक्षण संस्थाओं को सरकारी कालेजों व तुलना में संचालित करना जो

पढ़ाई करना न केवल भारत को उसकी बहुमूल्य विदेशी मुद्रा से वंचित करता है, बल्कि कुशल श्रमशक्ति को भी बाहर निकाल देता है। ऐसा नहीं है कि पिछले कुछ वर्षों में देश में मेडिकल की सीटों में बढ़तेरी नहीं हुई है। देश में एमबीबीएस सीटों को वर्ष 2014 के 54 हजार के मुकाबले वर्ष 2020 में 80 हजार किया जा चुका है। इसी अवधि के दौरान पौंजी के लिए सीटों की संख्या 24 हजार से बढ़कर 54 हजार हो गई है। वर्ष 2021 में इन सीटों के लिए 16 लाख उम्मीदवारों ने नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेस टेस्ट दिया था। यह आंकड़ा डाक्टर बनने के इच्छुक छात्रों की संख्या और उन्हें प्रशिक्षित करने की भारत की क्षमता में अंतर को


A wide asphalt road with white dashed lines curves through the frame, lined on both sides by tall, slender palm trees. In the background, a large, modern architectural complex is visible, featuring several interconnected wings with extensive glass facades and brickwork. The sky above is a clear, pale blue. To the right of the road, there's a green lawn and some lower-lying trees. A few people are walking along the sidewalk on the right side of the road.

लिए विदेश क्यों जाते हैं? दरअसल भारत में नेशनल एलिजिबिलिटी कम एट्रेस टेस्ट (नीट) की परीक्षा पास करना बहुत कठिन है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2021-22 में देश में कुल 596 मेडिकल कालेज थे, जिनमें नीट पास एम्बीबीएस सीटों की संख्या 88,120 थी। जाहिर है देश में नीट के लिए सीटें भी उम्मीदवारों के अनुपात में कम हैं। जो छात्र नीट परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाते हैं वे रुस, यूक्रेन, कजाखस्तान या चीन में प्रवेश लेने पहुंच जाते हैं। इनमें अधिकांश वे छात्र होते हैं जिनके परिवार अमीर या उच्च मध्यम वर्ग के होते हैं। उन्हें डोनेशन कोटा से वहां आसानी से प्रवेश मिल जाता है। हालांकि युरोप, इंग्लैंड और अमेरिका में एम्बीबीएस में प्रवेश करना बहुत मुश्किल होता है। इस वजह से मेडिकल छात्र इन देशों में जाने के बजाय रुस, यूक्रेन या चीन में जाकर खर्चीला काम है, परंतु इसका यह मतलब भी नहीं कि छात्रों से मनमाना डोनेशन और अधिक शुल्क वसला जाए। यूक्रेन संकट के बाद मेडिकल छात्रों का जीवन संकट में पड़ गया, तब यह सावल उन्हें लगा है कि आखिर भारत में मेडिकल की शिक्षा इतनी मंहगी क्यों है। इस पर विमर्श होना चाहिए और प्राइवेट मेडिकल कालेज की फीस नियंत्रित करने के लिए पहल होनी चाहिए। कुल मिलाकर बात यह है कि यूक्रेन आदि देशों में चिकित्सा शिक्षा के लिए जाने का उद्देश्य अपेक्षाकृत सस्ती पढाई है। अगर हम देश में मेडिकल सीटों को बढ़ाएं, तो विदेश में जाकर मेडिकल पढाई करने वाले छात्रों की संख्या में कमी हो ला सकते हैं। साथ ही प्राइवेट मेडिकल कालेजों की फीस नियंत्रित करना भी जरूरी है। जब तक भारत में चिकित्सा शिक्षा प्रणाली छात्रों की जरूरत के अनुरूप नहीं बनेगी, उनका विदेश जाना जारी रहेगा। विदेश में जाकर मेडिकल छात्रों का

जोर दे रही है, जो अच्छी बात है कि पिछले दिनों देश में मेडिकल की पढ़ाई सस्ती करने के लिए केंद्र सरकार ने प्राइवेट मेडिकल कालेजों में आधी सीटों पर सरकारी मेडिकल कालेज के बराबर ही फीस लेने का बड़ा फैसला किया है। इसके अलावा आने वाले समय में सरकार हर तीन संसदीय क्षेत्रों पर एक मेडिकल कालेज की स्थापना करने जा रही है। साथ ही जिला और रेफरल अस्पतालों को अपग्रेड कर नए मेडिकल कालेज बनाने की योजना पर भी काम हो रहा है। पिछले दिनों केंद्र सरकार ने मेडिकल शिक्षा को बढ़ावा देने और स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी आधारभूत सुविधा और मानव शक्ति की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से नए मेडिकल कालेजों की स्थापना की बात कही है जो स्वागतयोग्य है। सरकार मेडिकल सीटें बढ़ाने पर भी विचार कर रही है।

इतिहास को तथ्यों के साथ वस्तुनिष्ठ रूप में प्रस्तुत करने की प्रक्रिया

इतिहास किसा भाद्रा क विद्ययोगी के लिए, चाहे वह माध्यमिक तक इस विषय को पढ़ता हो अथवा उसमें सन्तरक तक ज्ञान अर्जित करना चाहता हो, एक ऐसा विषय है जो उसके मस्तिष्क पटल पर एक गहरी छाप छोड़ता है। यह ऐसा विषय है जो सामयिक शोधकार्यों के अनुसार तथ्यों और उसके प्रति नजरिये में परिवर्तन होता रहता है। यह भी सही है कि वैश्विक परिवेश के अनुसार पाठ्यक्रमों में बदलाव एक सतत प्रक्रिया है। प्रश्न है कि इस इतिहास को किस रूप में और कैसे प्रस्तुत किया जाए। यदि भारतीय इतिहास का घटनाक्रम अपनी यात्रा में समावेशी है तो तथाकथित प्रगतिवाद का कोई भी मानक इसे अन्यवेशी स्थापित नहीं कर सकता। परंतु भारतीय इतिहास पाठ्यक्रम के तहत ऐसा एतहासिक तर्तों का समावेश किया गया है जो मात्र भारतीय इतिहास के मूल आधार, एशिया महाद्वीप के उत्थान पतन और पुनरुत्थान, विश्व संस्कृतियां, काल खंडों में भारतीय सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक इतिहास लेखन की परंपराओं को संतुलित रूप से प्रस्तुत करता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्मित पाठ्यक्रम की विशेषता है कि यह समग्र रूप से भारतीय इतिहास को युवा पीढ़ी के समक्ष लाना चाहता है। तात्पर्य यह है कि भारत जैसे समृद्ध सांस्कृतिक राष्ट्र को दिल्ली केंद्रित इतिहास के रूप में ही नहीं समझा जा सकता है। देश के इतिहास की विकास यात्रा या चूंकियों से भरी यात्रा को मात्र दिल्ली केंद्रित इतिहास



में अनन्यवेशी तत्त्वों ने क्या प्रभाव डाले, यह तब तक समझ के परे होगा जब तक कि किसी राष्ट्र के इतिहास में यह स्पष्ट नहीं किया जाए कि एक लंबे कालखंड की राजनीतिक कोलाहल के उपरांत भी देश ने 'स्वतंत्र' की निरंतरता और मूल्यों को जीवित रखा, और कैसे रखा शायद यह तब तक स्पष्ट नहीं होगा जब तक देश की पीढ़ियों को 'भारत बोध' के मूल्यों को समझने का सुअवसर उसके पाठ्यक्रम से प्राप्त नहीं हो। यदि कोई प्रगतिवादी इसको इतिहास का अंश नहीं मानता तो यह उस श्रेणी में आने वाले इतिहासकारों का अपना सोच है। यदि हम औपनिवेशिक दृष्टिकोण और उसके अनुयायी समूह के इतिहास लेखन के मानकों पर भारतीय इतिहास लेखन और पाठ्यक्रम निर्धारण करेंगे तो यह भारतीय इतिहास और उसके पाठ्यक्रम निर्धारण में पक्षपात स्वतः उत्पन्न कर देगा। इसे सही करना इस पाठ्यक्रम निर्माण की बड़ी चुनौती दिखती है। इसी दृष्टिकोण से एलओसीएफ यानी 'लर्निंग आउटकम आधारित करिकुलम एमवर्कड सनतक इतिहास के सुस्पष्ट कर ही नहीं सकता। यदि देश की सांस्कृतिक इकाइयों के विकास को क्रमबद्ध रूप से समझना है तो इससे आगे जाना होगा और प्रत्येक उस क्षेत्रीय इकाई की प्रस्तुति करनी होगी जो इस देश के इतिहास को प्रभावित करने का कार्य करती है। तात्पर्य यह है कि भारतीय इतिहास को एक क्षेत्र विशेष से परिभाषित नहीं किया जा सकता। मध्यकाल में यह पाठ्यक्रम इसी दिल्ली केंद्रित अथवा विशेष राजा या घटना केंद्रित इतिहास की प्रचलित प्रथा से प्रस्थान है। निश्चित ही भारत को समझने का यही बेहतर उपाय है। यह पाठ्यक्रम ऐतिहासिक घटनाओं के महत्व की वरीयता तय करता हुआ न्यायाधीश की भूमिका में नहीं है, न ही यह सप्राट केंद्रित है और न ही यह किसी विषय विशेष पर आधारित है। इतिहास के पाठ्यक्रम की परिकल्पना करते समय इतिहास बोध से संबद्ध समस्याएं एवं मुहूर्भूत प्रश्न हो जाते हैं। इतिहास में ज्ञान के स्रोकार मूलतः ज्ञान मीमांसा अथवा ज्ञान का सिद्धांत दर्शन की वह शाखा है जो ज्ञान की प्रकृति, प्रयोजन और इससे संबंधित की प्रभावित करती है, और यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि इतिहास में इसके सबल साक्ष्य मौजूद है। परंतु विश्व इतिहास इस बात का साक्षी है कि राज्य की प्रतिकूल प्रवृत्ति वे चलते अपरिवर्तीय अवस्थाएं उत्पन्न हुई हैं जिससे अपूरणीय क्षति हुई। सनतक स्तर के छात्रों से अपेक्षा की जाती है कि वह राष्ट्र और राज्य की संकल्पनाओं के बीच के भेद को समझें। वह यह भी समझें कि किस तरह राष्ट्र अपने स्वरूप एवं अंतरवस्तु के साथ पूरी तरह सजीव है, जबकि राज्य के साथ ऐसा नहीं है। यह महत्वपूर्ण तथ्य निश्चित रूप से रेखांकित किया जाना चाहिए कि बिना अतीत के एक राष्ट्र नहीं हो सकता। इस अतीत के निरंतरता एवं राष्ट्र का निर्माण समकालीन शोधाधियों के लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु है। इसे ध्यान में रखते हुए सनतक स्तर पर 'भारत बोध' शीर्षक से एक अनिवार्य प्रश्न-पत्र तैयार किया गया है जो निश्चित तौर पर सभ्यता की निरंतरता एवं भारतीय इतिहास को पश्चिमी दृष्टि से समझने की अपेक्षा अपनी दृष्टि से समझने को प्रोत्साहित करेगा।

देश में ऐसा कानून भी बनाया जाए
जो लोगों को अनचाहे वैवाहिक
रिश्तों से आसानी से मक्कि दिलाए

भारत में वैगाहिक संबंधों में कुछ ऐसा घटित हो रहा है, जिस पर गंभीर चिंतन-मनन की आवश्यकता है। इसकी वजह यही है कि पिछले कुछ दशकों के दौरान विवाह मानवीय और भावनात्मक संबंधों के जुड़ाव के बजाय अधिकारों की प्राप्ति के रणक्षेत्र में परिवर्तित हो रहा है, जहां दंपती संबंधों की कड़वाहट का एक विकृत रूप देने पर आतुर नजर आते हैं। देश की दो विभिन्न अदालतों के निनाय्य यह बताने के लिए काफ़ी है कि वैगाहिक संबंधों का टकराव एक बेहद गंभीर सामाजिक विकृति के रूप में उभर रहा है। बीते दिनों पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने पति की प्रतिष्ठा को खराब करने के लिए पतने द्वारा अपमानजनक पोस्ट करने को मानसिक कूरता मानते हुए टिप्पणी दी कि 'एक बार जब दो पक्ष लंबे समय से अलग हैं और उनमें से किसी एक ने तलक के लिए याचिका पेश की है तो यह अच्छी तरह से माना जा सकता है कि शादी टूट गई है। निःसंदेह न्यायालय को पक्षों के बीच सामंजस्य स्थापित करने के लिए गंभीरता से प्रयास करना चाहिए, फिर भी अगर यह पाया जाता है कि दोनों का एक होना असंभव है तो तलक को रोकना नहीं चाहिए।' पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय की तरह पिछले दिनों दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक मामले में कूरता के आधार पर पति के पक्ष में निनाय नहीं हुए कहा कि विवाहेतर संबंध जैसे आरोप मानसिक पीड़ा और कूरता के समान हैं।' भारतीय वैधानिक प्रक्रिया चूंकि बहुत जटिल और लंबी है इसलिए ऐसी स्थिति में कानून का दुरुपयोग भी किया जाता है। पौड़ित पक्ष न्यायालय के सामने साल दर साल अपने जीवन का बहुमूल्य सम्पत्ति निकाल देता है, परंतु उस विषाक विवाह संबंधों से सहज मुक्ति नहीं मिल पाती, क्योंकि न्यायिक व्यवस्था विवाह विच्छेद के उन नियमों के साथ स्वयं को बंद्धा पाती है, जो वर्षी पूर्व निर्मित हुए थे। हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा-13 कूरता, परित्याग, मतांतरण, व्यभिचार तथा मानसिक विकार के कारण पति-पतने को संबंध विच्छेद के लिए याचिका प्रस्तुत करने का अधिकार देती है। वहाँ विशेष विवाह अधिनियम, 1954 की धारा-27 के तहत विधिपूर्वक संपन्न-विवाह के लिए विवाह विच्छेद के प्रविधिन दिए गए हैं, परंतु जिन मामलों में वैगाहिक संबंध पूर्ण रूप से अव्यावहारिक, भावनात्मक रूप से मृतप्राय यानी जिसमें सुधार की कोई संभावना न हो तथा अपर्ण रूप से टूट चुके हों, वह विवाह विच्छेद का आधार नहीं बनना न्यायालय के समक्ष अनेक बार पीड़ादायक स्थिति उत्पन्न-कर देता है। हालांकि संविधान के अनुच्छेद-142 के तहत उच्चतम न्यायालय को यह शक्ति है कि जिन मामलों में कानून या विधि द्वारा निनाय नहीं किया जा सकता, ऐसी स्थिति में वह उस मामले को स्वयं के अधिकार क्षेत्र में लाकर अंतिम निनाय दे सकता है। उल्लेखनीय है कि चार अक्टूबर, 2019 को आर श्रीनिवास कुमार बनाम आर समेता मामले में सुप्रीम कोर्ट ने विवाह विच्छेद का निनाय देते हुए कहा कि 'जब वैगाहिक संबंध उस स्थिति तक खराब हो चुके हों कि वे किसी भी स्थिति में सुधारे नहीं जा सकें तो कानून द्वारा इस वास्तविकता पर ध्यान नहीं देना अव्यावहारिक तथा समाज के लिए हानिकारक होगा। ऐसे वैगाहिक संबंध निष्पल होते हैं तथा इनका जारी रहना दोनों पक्षों को मानसिक प्रताड़? देना है। इन मामलों में किसी वैधानिक प्रविधिन की अनुपस्थिति के कारण न्यायालय द्वारा अनुच्छेद-142 के तहत अपनी असाधारण शक्तियों का प्रयोग करना आवश्यक है।' 21 मार्च, 2006 को नवीन कोहली बनाम नीलू कोहली मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भारत संघ को हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 में संशोधन करने पर गंभीरता से विचार करने की सिफारिश की थी, ताकि वैगाहिक संबंधों में आई कड़वाहट को विवाह विच्छेद के एक आधार के रूप में सम्मिलित किया जा सके। फलस्वरूप 2009 में भारत के विधि आयोग ने अपनी 217वीं रिपोर्ट में अपरिवर्तनीय संबंध विच्छेद को विवाह विच्छेद का आधार बनाने के लिए हिंदू विवाह अधिनियम तथा विशेष विवाह अधिनियम में शामिल करने की अनुशंसा की।

